भाग - दो

अध्यक्ष महोदय,

बजट भाषण के भाग-एक में मैंने सड़क, बिजली, सिंचाई जैसी अधोसंरचना के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी सामाजिक सेवाओं में सुधार तथा दलित, पिछड़े, महिलायें, वृद्ध-जन, निःशक्त-जन एवं गरीबों के कल्याण हेतु शासकीय कोष की सीमित क्षमता के अंतर्गत अधिकतम धनराशि आवंटन करने के प्रावधान किये गये हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा थाः-

"जनता को दरिद्रनारायण मानकर उसकी सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है।"

हमारी सरकार ने इस मंत्र को अंगीकार किया है। बजट का भाग-एक इसी मंत्र को सार्थकता प्रदान करने के लिये समर्पित है।

किंतु यह भी सत्य है, कि बगैर आय के इन व्ययों का प्रावधान संभव नहीं है, और किसी भी शासन के लिये करारोपण ही आय का प्रमुख साधन होता है। यद्यपि करारोपण कष्टप्रद है, किंतु अपरिहार्य भी है।

"जमीन जब तक न अपना हिस्सा अदा करेगी।

गुलाब खिलते नहीं हवा की सिफारिशों से।।"

अब मैं वर्ष 2004-05 के अपेक्षित घाटे की पूर्ति हेतु कुछ प्रस्ताव करता हूँ। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-

1. तम्बाखूरहित पान मसाला एवं गुटका स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, इसके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिये वाणिज्य कर की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है, जिससे रुपये 0.45 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2. तम्बाखूयुक्त पान मसाला एवं गुटका पर प्रवेश कर 20 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे रुपये 1.99 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

3. इसी प्रकार सिगरेट पर प्रवेश कर की दर को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रतिवर्ष रुपये 9.23 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है।

4. तेंदूपत्ता मुख्यतः बीड़ी निर्माण में प्रयुक्त होता है। तेंदूपत्ता पर वर्तमान कर दर 20 प्रतिशत है। इसमें दो प्रतिशत की वृद्धि की जाना प्रस्तावित है, जिससे रुपये 4.5 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है।

5. मध्यप्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश प्रमुख अफीम उत्पादक प्रांत हैं। इन राज्यों की तुलना में हमारे प्रदेश में कच्ची अफीम पर वाणिज्य कर की दरें काफी कम हैं। अतः कच्ची अफीम पर वाणिज्य कर की दर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है जिससे रुपये 2.3 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है।

6. प्रदेश में उत्पादित लकड़ी के प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर विक्रय को बढ़ावा देने के लिये आयातित टिम्बर पर दो प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रतिवर्ष रुपये 9 लाख का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है।

7. प्रदेश के बाजार में औसतन 31 लाख मैट्रिक टन सोयाबीन प्रति वर्ष विक्रय हेतु आता है। इसका अधिकांशतः उपयोग तेल बनाने मे होता है। तेल पर चार प्रतिशत की दर से वाणिज्यिक कर देय है। कर प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से निर्माताओं द्वारा सोयाबीन क्रय करने पर 1.5 प्रतिशत की दर से क्रय कर अधिरोपित करना प्रस्तावित है। ऐसे सोयाबीन से निर्मित तेल पर कोई वाणिज्यिक कर देय नहीं होगा। जिससे प्रतिवर्ष रूपये 56.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त होना संभावित है।

8. प्रदेश में स्थापित खाद्य-तेल प्रसंस्करण इकाईयों की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के दृष्टिकोण से आयातित क्रूड खाद्य तेल पर प्रति मेट्रिक टन रुपये 750 कम्पोजीशन राशि लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रतिवर्ष रुपये 3.91 करोड़ का राजस्व प्राप्त होना संभावित है।

9. वेट प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत कर दर के संबंध में हुई सहमति के अनुसार साबुन को 12 प्रतिशत वाले प्रवर्ग में सम्मिलित किया गया है। वाणिज्यिक कर दर के अंतर्गत वाशिंग सोप पर 12 प्रतिशत एवं डिटर्जेंट पर 8 प्रतिशत कर देय है। ब्रांडेड डिटर्जेंट की बिक्री, पाउडर एवं केक के रुप में होती है, जो उच्च वर्ग के लोगों द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं, जबकि वाशिंग सोप सामान्य वर्ग द्वारा उपयोग में लायी जाते है। इस विसंगति को दूर करने हेतु डिटर्जेंट वर्ग पर भी वाशिंग सोप के सामान 12 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना प्रस्तावित है। जिससे लगभग रुपये 7 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

10. वाणिज्यिक कर अधिनियम के प्रावधान अनुसार केंटीन स्टोर विभाग द्वारा केंटीन स्टोर का विक्रय किये जाने पर कर से छूट प्राप्त है, इस छूट को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, जिससे रुपये 2.5 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अपेक्षित है।

11. खाद्य तेलों पर प्रवेश कर की दर 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर एक प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है, जिससे लगभग प्रतिवर्ष रुपये 2.9 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

मुद्रांक एवं पंजीयन

12. प्राथमिक गृह निर्माण समितियों द्वारा अपने सदस्यों के आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जाने वाली भूमि के विक्रय पत्रों पर वर्तमान में लागू स्टाम्प शुल्क छूट के दुरुपयोग के अनेक मामले प्रकाश में आये हैं, अतः इस छूट को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रतिवर्ष रुपये चार करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।

13. चल संपत्ति के हाइपोथिकेशन एवं प्लेज के अनअटेस्टेड दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क पर पूर्णतः छूट प्राप्त है। छूट के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से 50 हजार से अधिक राशि के लिये निष्पादित विलेखों पर 0.5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है, इससे लगभग रुपये पांच करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है।

14. ऋणों को प्रतिभूत करने के सादा करारों पर रुपये 100 स्टाम्प शुल्क देय है। हक विलेखों के निक्षेप के करारों के स्थान पर ऋण के सादा करार निष्पादित कर शुल्क अपवंचन के प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिसे रोकने के उद्देश्य से ऐसे करारों पर प्रतिभूत रकम का 0.5 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार) की दर से स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करना प्रस्तावित है, जिससे प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

15. वर्तमान में एक वर्ष से कम अवधि के किरायेनामों पर कुल किराये की राशि पर चार प्रतिशत तथा एक वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के किराये नामे पर एक वर्ष के किराये की राशि पर चार प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय है। शुल्क की दर अधिक होने से

किरायेनामे सामान्यतः 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किये जाते हैं। इस अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से एक वर्ष से कम अवधि के किरायेनामों पर, किराया राशि का एक प्रतिशत तथा एक से तीन वर्ष की अवधि के किरायेनामों पर वार्षिक किराये की राशि का दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है, इससे प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है।

आबकारी

16. फ्रेंचाईज व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित बियर पर प्रति क्वार्ट बोतल (650 मिली.) पर रुपये 2.50 फ्रेंचाईज फीस लगाने का प्रस्ताव है, जिससे लगभग रुपये 5.25 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व के प्राप्त होने की संभावना है।

17. अच्छी श्रेणी की मदिरा के निर्माण में विशेष मदिरा सहायक है, विशेष मदिरा पर रुपये पांच प्रति बल्क लीटर की दर से आयात शुल्क अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे रुपये 23.3 लाख का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है।

परिवहन

18. वाहन अनुज्ञा पत्र को लंबी अवधि तक समर्पित कर उक्त अवधि में वाहनों के अवैध संचालन से कर अपवंचन के प्रकरण सामने आये हैं, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये अनुज्ञा पत्र समर्पण की सामान्य अवधि एक वर्ष में 45 दिवस तक सीमित कर एवं समर्पण के आवेदन शुल्क की दर में एक माह या उसके अंश के समर्पण पर 200 रुपये, दो माह या उसके अंश के समर्पण पर 800 रुपये एवं दो माह से अधिक के समर्पण पर एक हजार

रुपये प्रतिमाह की दर से आवेदन शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त प्रस्तावों से प्रतिवर्ष रुपये 15 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व संभावित है।

19. स्लीपर कोच चलाये जाने का प्रावधान सम्मिलित करते हुये स्लीपर कोच के लिये रुपये 230 प्रति सीट प्रति माह की कर दर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे प्रतिवर्ष रुपये एक करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

20. वर्तमान व्यवस्था में 7+1 सीट क्षमता के वाहनों पर जीवनकाल कर अधिरोपित किया जाता है। यह पाया गया है कि इन वाहनों का अधिकांशतः उपयोग यात्रियों को ढोने के लिये किया जाता है, इस कर अपवंचन को रोकने के लिये 7+1 सीट बैठक क्षमता के वाहनों के लिये जीवनकाल कर की प्रथा समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। यात्री वाहन के रुप में चलाये जाने पर रुपये 300 प्रतिसीट प्रति तिमाही की दर से कर लगाया जायेगा, जिससे प्रतिवर्ष रुपये 4.50 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

21. नये ट्रेक्टरों पर एक प्रतिशत की दर से मोटरयान कर अधिरोपण किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में पंजीकृत ऐसे ट्रेक्टर जो दस साल से कम अवधि के हैं, उन पर एक हजार रुपया जीवनकाल कर अथवा 200 रुपये प्रतिवर्ष मोटरयान कर जमा करने का विकल्प होगा। दस वर्ष से अधिक पुराने ट्रेक्टरों पर कोई कर अधिरोपित नहीं होगा। इससे प्रतिवर्ष रुपये 25 करोड़ की आय संभावित है। इस राशि को ग्रामीण सड़कों के लिये उपयोग किया जायेगा।

22. वाहनों के अवैध संचालन पर अंकुश लगाने के लिये बिना अनुज्ञा पत्र चलाये जा रहे मोटरयान पर 12 यात्रियों तक के लिये अनुज्ञात वाहन पर रुपये एक हजार प्रतिसीट प्रतिमाह या इसका भाग तथा 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिये अनुज्ञात वाहन के

लिये रुपये 1500 प्रतिसीट प्रतिमाह की दर से कर अधिरोपण का प्रस्ताव है। जिससे प्रतिवर्ष रुपये पांच करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है।

23. अन्य राज्यों से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर प्रदेश में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों पर प्रदेश में दिये जाने वाले करों का युक्तियुक्तकरण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे रुपये एक करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।

24. मालयान की कर दरों की वर्तमान 17 वर्गों के स्थान पर 10 वर्गों में युक्तियुक्तकरण किया जाना प्रस्तावित है, जिससे रुपये पांच करोड़ का अतिरिक्त राजस्व संभावित है।

25. क्रेन, क्रेशर, जेसीबी, बुलडोजर, डम्पर, लोडर प्रकार के वाहनों पर वर्तमान में तिमाही कर अधिरोपित है। सुविधा के दृष्टिकोण से उक्त वाहनों के बाजार मूल्य का छः प्रतिशत की दर से जीवनकाल कर अधिरोपित किया जाना प्रस्तवित है, जिससे रुपये एक करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होना संभावित है।

26. मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम बसों की कमी के कारण सभी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों का संचालन नहीं कर पा रहा है। कुछ चिन्हित राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत किया जाना प्रस्तावित है, जिससे लगभग 12 करोड़ रुपये की आय संभावित है। यह समस्त राशि मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम को उनके बेड़े में सम्मिलित बसों एवं अन्य अधोसंरचना के सुधार हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, अपितु निगम की आर्थिक स्थिति मे भी सुधार होगा।

27. राज्य के विकास की आवश्यकताओं के लिए हमने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रस्ताव सदन के सामने रखे हैं। कुछ राहत देने के प्रस्ताव भी रख रहा हूं।

28. अगरबत्ती एवं धूप के विक्रय पर कोई वाणिज्यिक कर देय नहीं होगा, प्रदेश के बाहर से अगरबत्ती आयात करने पर दो प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय होगा। इससे लगभग रुपये 50 लाख के राजस्व हानि संभावित है।

29. सिंघाड़ा को किराना सूची से हटाया जायेगा, जिससे सिंघाड़ा पर कोई वाणिज्यिक कर देय नहीं होगा। इससे लगभग रुपये 40 लाख के राजस्व हानि संभावित है।

30. वर्तमान में महिलाओं के पक्ष में निष्पादित ऐसे दस्तावेजों पर जिनमें संपत्ति का 50 प्रतिशत या इससे अधिक भाग महिलाओं को अंतरित होता है, संपूर्ण संपत्ति के मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त है। उक्त छूट का युक्तियुक्तकरण कर इसे केवल महिलाओं के हिस्से तक सीमित किया जाना प्रस्तावित है, परंतु महिलाओं के हिस्से पर स्टाम्प शुल्क की छूट एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। इससे महिलाओं के संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित करने में सहायता होगी। राजस्व प्राप्ति अप्रभावित रहेगी।

31. उत्पादन इकाईयों तथा आयात करने वाले व्यापारियों को छोड़कर शेष व्यापारियों के लिये विक्रय कर पंजीयन की वर्तमान सीमा रुपये एक लाख से बढ़ाकर रुपये 2.50 लाख की जाना प्रस्तावित है। इससे राज्य शासन को लगभग रुपये 3.50 करोड़ के राजस्व की हानि होगी।

32. उपरोक्त प्रस्तावों से रुपये 173.76 करोड़ रुपये का शुद्ध अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

उपसंहार

मेरे द्वारा प्रस्तुत किये बजट प्रदेश को देश के अत्यंत पिछड़े प्रदेशों की पंक्ति में से निकाल कर अग्रणी प्रदेशों की पंक्ति में प्रतिष्ठित करने के संकल्प की पूर्ति में प्रारंभिक प्रयास है। मैं अपने बजट भाषण का समापन अटलजी की इन पंक्तियों के साथ करता हूँ।

"जब तक ध्येय न पूरा होगा,
तब तक पग की गति न रूकेगी।
आज कहे चाहे कुछ दुनिया,
कल को बिना झुके न रहेगी।।"

अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2004-05 के आय व्यय का उपस्थापन करता हूं।

जय भारत। जय मध्य प्रदेश।।